20/3/2024

आज दिनांक पत्रावली पेश हुई। वकील श्रमजीवी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में पक्ष गुण दोष पर विचारार्थ पुनर्विचार एवं पुनर्विचार में लिया जा चुका है। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण को अनावश्यक चलाये रखने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी की कार्यवाही क्रेता बीमारी है। प्रार्थी पोकल-कुमार के नाम पर बैंक बीमा पास का तकनीकी दायित्व पूर्ण किया है।

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

कार्यालय जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)
अनुवाद - सम्पादक
पृ.सं. - 15/9/2023 दि. 30/10/23
विषय - प्रा. पुनर्विचार आर.बी. मिश्र